अध्याय V

माल का गलत वर्गीकरण

फरवरी 2009 से मार्च 2013 की अवधि के रिकॉर्ड की नमूना जांच (जुलाई 2009 से अगस्त 2013) के दौरान, हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने विभिन्न आयातित माल को गलत वर्गीकरण किया जिसके कारण ₹ 20.70 करोड़ के सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण हुआ। इनकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है।

निर्धारण अधिकारी ने फैटी एसिड के मिश्रण के रूप में कच्चा पाम स्टीयरीन का गलत वर्गीकरण किया

5.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (बोर्ड) ने अपने दिनांक 3 दिसम्बर 2002 के परिपत्र (संख्या 81/2002) में क्षेत्रीय संरचनाओं को आयातित 'पाम स्टीयरीन' की रसायनिक जांच का यह सत्यापित करने के लिए निर्देश दिया कि क्या वे 'फैटी एसिड की ग्लाइकोसाइड' (सीटीएच 1511) अथवा एक 'फैटी एसिड मिश्रण' सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग (सीटीएच) 3823 है तथा उन्हें तदनुसार वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 15 दिसम्बर 2010 के अपने निर्देश द्वारा सी.सी.ई.सी. एवं एस.टी., विशाखापट्टनम बनाम जेओसीआईएल इंडिया के मामले 2009 की सिविल अपील संख्या 6979-6982 में निर्णय दिया है कि 'पाम स्टीयरीन (कच्चा/आरबीडी) को सीटीएच 3823 के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए'। बोर्ड ने दिनांक 26 जुलाई 2011 के सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 31/2011 द्वारा सात माह के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू किया तथा स्पष्ट किया कि 'कच्चा पाम स्टीयरीन' को सीटीएच 38231111 के तहत निर्धारित तथा तदनुसार सभी लंबित मामलों के निपटान के लिए इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं को निदेर्शित किया जाना चाहिए।

मै. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड तथा अन्य ने कस्टम हाउस एमपी एवं सेज (मुन्द्रा) से ₹ 51.78 करोड़ मूल्य के 'कच्चे पाम स्टीयरीन' के छः प्रेषणों को आयातित (मार्च/मई/जुलाई 2011) किया तथा निकासी की। उक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर 'पाम स्टीयरीन' के वर्गीकरण (दिसम्बर

2010 से जुलाई 2011) के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को किसी निर्देश के अभाव में, विभाग ने दिसम्बर 2002 के पूर्व परिपत्र के अनुसार सीटीएच 15111000 के तहत इसके वर्गीकरण को स्वीकृति दी। निर्णय के लागू होने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 11.17 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

उप आयुक्त, कस्टम हाउस, एमपी एवं सेज, मुन्द्रा ने कहा (जनवरी 2012) कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने का फैसला कानून मंत्रालय के साथ परामर्श करके लिया जाना आवश्यक था तथा इस प्रकार मामले के स्पष्टीकरण जारी करने के लिए समय लिया गया।

तथ्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए परिपत्र के जारी करने में विलम्ब के कारण राजस्व हानि हुई। क्या बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में प्रावधानिक रूप से 'कच्चे पाम स्टीयरीन' के आयात का पता करने के लिए अन्तरिम निर्देश जारी किए थे, सरकार राजस्व की हानि की सुरक्षा कर सकती थी।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने एक स्वत: डाटा संसाधित सिस्टम के साथ उपयुक्त प्रोजेक्टरों के रूप में टीवी प्रोजेक्टरों को गलत वर्गीकृत किया।

5.2 'प्रोजेक्टर' जो एक स्वत: डाटा संसाधित सिस्टम में केवल अथवा मुख्यतया उपयोग किए जाते हैं, को सीटीएच 85286100 के तहत वर्गीकृत किया जाता है जबकि अन्य प्रोजेक्टर जो टेलीविजन तथा विडियो के साथ-साथ स्वत: डाटा संसाधित मशीन के साथ कार्य करने में सक्षम है, को सीटीएच 85286900 के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

मै. ईपसन इंडिया लिमिटेड तथा अन्य सात ने चेन्नई (समुद), चेन्नई (एयर), कोलकाता (पोर्ट), कोलकाता (एयर) आयुक्तालय तथा आईसीडी, दादरी, यू.पी. के माध्यम से विभिन्न मॉडलों के 'प्रोजेक्टर' के 39 प्रेषणों का आयात (मार्च 2011 से मार्च 2013) किया था। इस माल को सीटीएच 85286100 के तहत वर्गीकृत किया गया तथा दिनांक 1 मार्च 2005 की अधिसूचना संख्या 24/2005-सी.शु. की क्रम संख्या 17 के तहत शुल्क की रियायती दर पर निर्धारित किया गया।

लेखापरीक्षा ने उत्पाद सूची में देखा कि 'प्रोजेक्टर' का आयातित मॉडल आरएस-232 इनपुट, एस. विडियो इनपुट तथा समग्र विडियो इनपुट प्रावधान वाला था तथा इस प्रकार इसे टेलीविजन तथा विडियो के साथ-साथ एक स्वत: डाटा संसाधित सिस्टम के साथ उपयोग किया जा सकता था। तदनुसार, आयातित माल को सीटीएच 85286900 के तहत सर्वोच्चता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। इस प्रकार, गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.54 करोड़ शुल्क की कम उगाही हुई।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने रोपण तथा बुवाई के लिए मक्का (मकई) को सब्जी के बीच के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.3 'मक्का (मकई) बीज' को (सीटीएच) 10051000 के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा यह दिनांक 1 मार्च 2002 (क्रम संख्या 20) की अधिसूचना संख्या 21/2002 सी.शु. के अन्तर्गत 50 प्रतिशत की दर पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) आरोप्य है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 12 के तहत टिप्पणी 3 के अनुसार, टैरिफ शीर्षक 1209 'फलीदार सब्जियों अथवा स्वीट कोर्न' (अध्याय 7) तथा 'अनाज' (अध्याय 10), पर लागू नहीं होता यहां तक कि बुआई के लिए भी।

मै. एडवांटा इंडिया लि. तथा अन्य ग्यारह ने जेएनसीएच, एनसीएच, मुम्बई तथा चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालयों के माध्यम से 'रोपण तथा बुआई के लिए सब्जियों के बीज के रूप में स्वीट कार्न बीज' का आयात किया (जून 2011 से जनवरी 2013)। विभाग ने सीटीएच 12099190 के तहत माल को गलत तरीके से निर्धारित किया।

व्याख्या हेतु सामान्य नियम (जीआरआई) के नियम 3(ए) के अनुसार, शीर्षक जो सबसे अधिक विशिष्ट विवरण देता है, को अधिक सामान्य विवरण देने वाले शीर्षक हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तत्काल मामलें में, प्रविष्टि बिल मे वर्णित मद 'स्वीट कोर्न बीज' (रोपण तथा बुवाई हेतु सब्जियों के बीज) थी। तदनुसार, उन्हें सीटीएच 10051000 के तहत सर्वोच्चता के आधार पर

वर्गीकृत किया गया। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.20 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई

दो आयातकों (मै. नामधारी फार्म फ्रेश प्रा. लि. तथा मै. एडवांता इंडिया लिमिटेड) के मामले में सहायक आयुक्त, जेएनसीएच ने सूचित किया (अप्रैल 2013) कि कम प्रभार नोटिस जारी किए गए है। तथापि, मै. ईस्ट वेस्ट सीडस इंडिया प्रा. लि. के मामले में एक समान आयात हेतु सीमा शुल्क अधिकारियों जेएनसीएच ने कहा (नवम्बर 2011/मई 2013) कि स्वीट कोर्न एक सब्जी है तथा स्वीट कोर्न के बीज भी सब्जी के बीज है तथा सीटीएच 12099190 के तहत सही रूप में वर्गीकृरण के योग्य है।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने 'यीस्ट' को औषधि के रूप में गलत वर्गीकृत किया

5.4 सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 21 की टिप्पणी 1 (एफ) के अनुसार, एक औषधि के रूप में न रखे गए 'यीस्ट' को अध्याय 21 के तहत वर्गीकृत किया जाना है तथा दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006-सीई (क्रम संख्या 23) के अनुसार 30 प्रतिशत पर मूल सीमा शुल्क तथा 'शून्य' दर पर अतिरिक्त सीमा शुल्क उद्ग्रहाय है। 'सकचारोमाइसिस बोलराडी' लाइपोलाइज फॉर्म (फ्रीज में सूखी) में एक प्रोबायोटिक रूप में अक्सर बाजार में बेची गई उष्णकटिबंधीय यीस्ट की एक छान है।

मै. डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरी द्वारा चेन्नई (एयर) आयुक्तालय के माध्यम से आयातित (मई से अक्तूबर 2011) संकचारोमाइसिस बोलराडी के चार परेषणों को सीटीएच 3003 3900/2942 0090 के तहत 'दवा'/अन्य कार्बनिक यौगिक के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया तथा मूल सीमा शुल्क को क्रमशः 10 प्रतिशत/7.5 प्रतिशत तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत/10 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 84.38 लाख कम शुल्क संग्रहण हुआ था।

यह मंत्रालय को नवम्बर 2013 में बताया गया तथा उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने फ्लैजेंज को पवन संचालित बिजली जनरेटर के एक पार्ट के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.5 सीमा शुल्क टैरिफ की धारा XVI के नोट 1 (जी) में 'सामान्य उपयोग के भाग' को धारा XV के नोट 2 (क) के तहत वर्णित रूप मे शामिल नहीं किया जाता। तदनुसार, सीटीएच धारा 7307, 7312, 7315, 7317 अथवा 7318 तथा आधार धातु की ऐसी धारा को अध्याय के अन्तर्गत कवर नहीं किया जाता। धारा 'फ्लैजेंज' सीमा शुल्क टैरिफ की सीटीएच 7307 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं तथा 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी उद्ग्राह्य है।

चेन्नई (समुद्र), आयुक्तालय के माध्यम से मै. सुजलॉन टावर्स तथा स्ट्रक्चर लिमिटेड और दो द्वारा आयातित (मई 2011 से मार्च 2013) 'फ्लैंजेंज' के सोलह परेषणों को वर्गीकृत किया तथा पवन प्रचालित विद्युत जनरेटर के पार्ट के रूप में सीटीएच 85030010 के तहत निर्धारित किया और 25 प्रतिशत की दर पर बीसीडी उद्ग्रहीत किया। उक्त प्रावधानों के अनुसार 'सामान्य उपयोग के पार्ट' श्रेणी के तहत आने वाले 'फ्लैंजेज' तथा सीटीएच 7307 के तहत गुणवत्ता आधार पर वर्गीकरण 10 प्रतिशत दर पर बीसीडी उद्ग्रहाय है। गलत वर्गीकरण के परिणास्वरूप ₹ 59.86 लाख राशि के सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

उप आयुक्त (आईएडी), चेन्नई ने मै. लेइटवाइंड श्रीराम से ₹ 0.47 लाख की वसूली तथा मै. सुजलॉन टावर्स तथा स्ट्रक्चर लि. को मांग नोटिस के मामले की सूचना दी (मई 2012)। मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने पशु खाद्य प्रबंधन को मानव उपभोग हेतु अयोग्य फीश मील के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.6 अध्याय नोट के अनुसार, शीर्षक (सीटीएच) 2309 पशु खाद्य में उपयुक्त एक प्रकार के उत्पाद को सम्मिलित करती है, न कि कहीं और वर्णित अथवा अध्याय में सम्मिलित उत्पाद को जिसे ऐसी एक सीमा तक संसाधित सब्जी अथवा पशु सामग्री द्वारा प्राप्त किया जाता है जब वे मूल सामग्री की आवश्यक विशेषताओं को खो देते हैं। एक्वा फीड (खासकर श्रिम्प)

हेतु एक उच्च गुणवत्ता घटक वाले 'स्किवड लीवर पाउडर' जिसे स्किवड लिवर पेस्ट से तैयार तथा बराबर भाग में उत्कृष्ट सोयाबीन मील से तैयार किया जाता है, को सीमा शुल्क टैरिफ के सीटीएच 2309 के तहत उचित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है तथा 30 प्रतिशत पर मूल सीमा शुल्क उद्ग्रहाय है।

चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से अवन्ती फीड्स लिमिटेड तथा मै. ग्रोबेस्ट फीडस कार्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड द्वारा आयातित (अप्रैल 2011 से मार्च 2012) 'स्किवड लीवर पाउडर' के छः प्रेषणों को टैरिफ मद 23012090/23012019 के तहत 'मानव उपभोग हेतु अयोग्य अन्य फीश मील' के रूप में गलत प्रकार से वर्गीकृत किया गया तथा दिनांक 1 मार्च 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. की क्रम संख्या 53 के अनुसार मूल सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया।

पोषक तत्वों अर्थात् पशुओं से प्राप्त ऊर्जा पोषक तत्वों तथा उचित अनुपात में फलीदार सब्जियों से प्राप्त शरीर निर्माण पोषक तत्वों (प्रोटीन) के मिश्रण वाले इसके व्यजंन को देखते हुए, इसे सीटीएच 2301 के बजाय टैरिफ आइटम 23099090 के तहत 'पशु खाद्य में उपयुक्त एक प्रकार के अन्य व्यंजन' के रूप में गलत प्रकार से वर्गीकृत किया गया तथा 30 प्रतिशत की दर पर मूल सीमा शुल्क उद्ग्रहाय था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 50.17 लाख शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

जब हमने फरवरी/अक्तूबर 2012/फरवरी 2013 में इसे बताया तब विभाग से कोई जवाब नहीं था। तथापि, पूर्व के ऐसे ही मामले में, विभाग ने मई 2011 में लेखापरीक्षा का तर्क स्वीकार किया तथा मांग की पुष्टि की। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने राइस मिल रबर रोलर को राइस मिल मशीनरी के रूप में गलत वर्गीकृत किया

5.7 'राइस मिल रबर रोलर' सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग (सीटीएच) 40169990 के तहत वर्गीकरण योग्य है तथा जब वियतनाम से आयातित हुई, दिनांक 1 जनवरी 2012 की अधिसूचना संख्या 46/2011 सी.शु. (क्रम संख्या

534, परिशिष्ट -I) के तहत 7 प्रतिशत रियायती दर पर बीसीडी उद्ग्रहाय है। सीबीईसी (बोर्ड) ने भी अपनी दिनांक 11 जनवरी 1990 की परिपत्र संख्या 2/90 –सीएक्स 3 में स्पष्ट किया कि 'राइस मिल' में उपयुक्त 'रबड़ मिल' का सीटीएच 4016 के तहत गुणवत्ता वर्गीकरण होना चाहिए। इसके अलावा, दिनांक 17 मार्च 2012 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2012 (क्रम संख्या 155) सीटीएच 4016 के तहत 'राइस मशीनरी' हेतु 'राइस रबड़ रोलस' के स्पष्ट रूप से वर्गीकरण का वर्णन करती है।

मै. एलास्का रबर्स प्रा. लि. तथा चार अन्यों ने आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली तथा चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से वियतनाम से 'राइस मिल रबड़ रोलर' के 18 परेषणों का आयात किया (अगस्त 2012 से मार्च 2013)। निर्धारण अधिकारी ने सीटीएच 84379020 के तहत आयातित माल को गलत तरीके से वर्गीकृत किया तथा अधिसूचना संख्या 46/2011-सी.शु. (क्रम संख्या 1170) के तहत 2.5 प्रतिशत रियायती दर पर बीसीडी उद्ग्राह्य था। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 46.44 लाख शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने छः परेषणों के संदर्भ में बताया (अगस्त 2013) कि मै. एलास्का रबर प्रा. लि. को ₹ 8.19 लाख की सुरक्षात्मक मांग जारी की गई थी। आगे कार्रवाई प्रतिक्षित थी (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने सर्जिकल माइक्रोस्कोप को अन्य उपकरणों तथा यंत्रों के रूप में गलत वर्गीकृत किया

5.8 नेत्र सूक्ष्मदर्शी के अलावा अन्य 'सर्जिकल माइक्रोस्कोप' सीटीएच 9011 के तहत वर्गीकरण योग्य है।

मई 2012 से जनवरी 2013 की समयवधि के दौरान एयर कार्गो काम्प्लेक्स (एसीसी), नीदमबेस्सरी (कोचीन) तथा चेन्नई (एयर) आयुक्तालय के माध्यम से आयातित 'सर्जिकल माइक्रोस्कोप' को सीटीएच 90189099 के तहत चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, पशु चिकित्सा में उपयुक्त अन्य उपकरणों तथा साधनों के रूप में वर्गीकृत किया गया और दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी.शु. के तहत शुल्क की रियायती दर

पर निर्धारित किया गया। आयातित माल सीटीएच 9011 के तहत सही प्रकार से वर्गीकरणीय है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 41.08 लाख शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने कोचीन आयुक्तालय के माध्यम से किए आयात के संदर्भ में ₹ 17.65 लाख की वसूली की सूचना दी (जनवरी 2014)। चेन्नई आयुक्तालयों के माध्यम से किए आयात के संदर्भ में उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने चिकित्सा अथवा शल्य चिकित्सा हेतु कैमरे को टेलीविजन कैमरे/डिजिटल कैमरे/चिकित्सा उपकरणों के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.9 चिकित्सा अथवा आन्तरिक अंगों की शल्य चिकित्सा हेतु मुख्य रूप से डिजाइन कैमरे सीटीएच 9006 3000 के तहत वर्गीकरण योग्य है तथा उनके पोर्ट सीटीएच 9006 9100 के तहत वर्गीकरण योग्य है तथा 10 प्रतिशत दर पर बीसीडी और 16 मार्च 2012 तक प्रभावी 10 प्रतिशत तथा 17 मार्च 2012 से प्रभावी 12 प्रतिशत दर पर उद्ग्राह्य है। इसके अलावा, सीटीएच 9006 के तहत एचएसएन के अनुसार, कैमरे को पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया भले ही यह सीटीएच 9006 के तहत गुणवत्ता वर्गीकरण के अन्य यंत्रों के विशिष्ट भाग हो।

चेन्नई (एयर), आयुक्तालय के माध्यम से विभिन्न आयातकों द्वारा आयातित (दिसम्बर 2011 से मार्च 2012) चिकित्सा उद्देश्य के लिए निर्मित 'एन्डोस्कॉपी कैमरों तथा अन्य डिजिटल कैमरों' के अड़तालीस परेषणों को सीटीएच 901890 अथवा 852580 के तहत 'चिकित्सा में उपयुक्त चिकित्सा उपकरण तथा यंत्र, शल्य चिकित्सा आदि' अथवा 'टेलीविजन कैमरे, डिजिटल कैमरे आदि' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया जबकि उनके पार्ट को उप शीर्षक 901850/901890 के तहत 'अन्य नेत्र उपकरणों तथा यंत्रों' अथवा 'सर्जिकल टूल' के रूप में वर्गीकृत किया गया। विभाग ने दिनांक 1 मार्च 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. (संशोधित) के तहत मूल सीमा शुल्क की रियायती दर पर आयातित माल की निकासी की तथा (अधिसूचना संख्या (i) 6/2006-सीई) क्रम संख्या 59(ii) अधिसूचना संख्या 10/2006-सीई क्रम

संख्या 26 के शून्य/5/10 प्रतिशत पर उत्पाद शुल्क के समतुल्य अतिरिक्त सीमा शुल्क भी उद्ग्राहय है।

चूंकि मुख्य टैरिफ मद मुख्य रूप से आंतरिक अंगों चिकित्सा अथवा शल्य चिकित्सा के लिए उनके पार्ट के संबंध में भी डिजाइन किए गए कैमरों के वर्गीकरण हेतु विद्यमान है तथा तदनुसार, उनका सीटीएच 9006 के तहत उत्कृष्ट वर्गीकरण किया जाए तथा उपयुक्त शुल्क उद्ग्राहय है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 37.63 लाख शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने रिफाइंड तथा खाद्य श्रेणी की वसा तथा तेल को सौदर्य प्रसासन तथा औषधीय उपयोग हेतु माल के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.10 सीटीएच 1515 के अन्तर्गत आने वाली 'सभी वसा तथा तेल, रिफाइंड तथा खाद्य श्रेणी' दिनांक 1 मार्च 2002 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 21/2002 की क्रम संख्या 33 बी के अनुसार शुल्क की रियायती दर के योग्य है।

मै. एन.वी. आर्गेनीक प्रा. लि. ने जनवरी 2012 में जेएनसीएच आयुक्तालय के माध्यम से 20000 कि.ग्रा. 'शिए बटर' का आयात किया तथा विभाग ने माल को अन्य खाद्य श्रेणी के तेल के रूप में सीटीएच 15159099 के तहत वर्गीकृत किया तथा दिनांक 1 मार्च 2002 की अधिसूचना के तहत रियायती दर पर इसे अनुमति दी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जांच रिपोर्ट यह दर्शाती है कि आयातित माल कॉसमेटिक उपयोग के लिए है तथा खाद्य और औषधि अनुप्रयोग हेतु योग्य नहीं है, उसी रूप में स्वीकृत छूट गलत थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.30 लाख शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

अपर आयुक्त सीमा शुल्क, जेएनसीएच ने सूचित किया (जून 2013) कि आपत्ति को कार्रवाई हेतु संबंधित निर्धारण समूह को अग्रेषित किया गया।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था। (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने मोटर पार्टस को प्रवाह, स्तर तथा द्रव्य अथवा गैसो के दबाव को मापने तथा उनकी जांच करने हेतु एक उपकरण के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.11 धारा XVIII के नोट 2 (ख) के अनुसार, पार्टस तथा उपकरण यदि विशेष प्रकार की मशीन, साधन अथवा उपकरण अथवा एक शीर्षक की अधिकतम मशीनों, उपकरणों अथवा साधनों के साथ अकेले अथवा प्रमुख रूप से उपयोग हेतु उपयुक्त हो, तो उन्हें उसी प्रकार की मशीनों, साधनों अथवा उपकरणों के साथ वर्गीकृत किया जाना है।

'हॉट फिल्म एयर मास मीटर्स' वैद्यानिक उत्सर्जन सुनिश्चित करने हेतु सीमा को वास्तविक विद्युत आवश्यकता, वायु दबाव तथा वायु तापमान के अनुसार वर्तमान में इंजेक्शन को सक्षम करने तथा समायोजित करने के लिए मोटर वाहनों के आन्तरिक दहन इंजनों में एयर मास प्रवाह को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चूंकि उन्हें मुख्य रूप से अध्याय 87 के मोटर वाहनों में उपयोग किया जाता है, अत: कथित माल सीटीएच 8708 के तहत वर्गीकरण है।

चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से मै. बॉश्च लि. द्वारा आयातित (जून 2011 से मार्च 2012) 'हॉट फिल्म एयर मास मीटर' के पच्चीस परेषणों को 'प्रवाह, स्तर, दबाव अथवा द्रव्यों या गैसों के अन्य अन्तर को मापने तथा जांच करने के लिए अन्य उपकरणों अथवा साधनों' के रूप में सीटीएच 90268090 के तहत गलत वर्गीकृत किया गया। माल के इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 34.96 लाख शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

उप-आयुक्त सीमा शुल्क (आईएडी), कस्टम हाउस, चेन्नई ने सूचित किया (फरवरी 2013) कि 13 परेषणों के संदर्भ में ₹ 17.74 लाख हेतु एक एससीएन जारी किया गया।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने अगरबत्ती पाउडर का गलत वर्गीकरण किया।

5.12 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम (सीटीए), 1975 के अध्याय 44 के नीचे टिप्पणी 1 (ए) के अनुसार, चिप्स, शेविंग, कुचला, पिसा हुआ, पाउडर किस्म, उपयोग के एक प्रकार के साथ-साथ परफ्यूमरी में लकड़ी को सीटीए, 1975 के अध्याय 44 के दायरे से बाहर रखा है। 'अगरबत्ती' बनाने के लिए कच्ची सामग्री वाले आयातित माल को उक्त अध्याय टिप्पणी के अनुसार सीटीएच 1211 के तहत वर्गीकृत किया गया।

मै. गणेश इंडस्ट्रिज तथा अन्यों ने जेएनसीएच, चेन्नई (समुद्र), कोच्चि एवं लुधियाना (पोर्ट) आयुक्तालय के माध्यम से 'अगरबत्ती पाउडर (अगरबत्ती बनाने के लिए लकड़ी डस्ट पाउडर), के 51 परेषणों का आयात (फरवरी 2011 से मार्च 2013) किया। विभाग ने इन परेषणों का सीटीएच 44013000 के तहत निर्धारण किया।

उक्त टिप्पणी के अनुसार इस माल को सीटीएच 12119029 के तहत गुणों के आधार पर वर्गीकृत तथा तदनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 28.88 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

अपर आयुक्त सीमा शुल्क, जेएनसीएच ने ₹ 7.76 लाख की आपत्ति के संदर्भ में सूचित किया (मई 2013) कि आयातक से ₹ 3.79 लाख की राशि की वसूली की गई तथा शेष राशि हेतु एससीएन सह मांग नोटिस जारी किए गए।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने ऑपरेटिंग टेबलों को एक्स रे उपकरण/चिकित्सा उपकरणों तथा सामग्री के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.13 अध्याय 94 की नामावली की सुसंगत प्रणाली (एचएसएन) की टिप्पणियों के अनुसार, सामान्य तथा विशेष सर्जरी के लिए निर्मित 'ऑपरेटिंग टेबल' को सीटीएच 9402 के तहत सम्मिलित समायोजन, ढ़ाल, धूर्णन अथवा टेबल उठाने के द्वारा विभिन्न ऑपरेशन के लिए आवश्यक स्थिति में रोगी को रखने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया तथा दिनांक 1 मार्च 2006 की

अधिसूचना संख्या 6/2006-सीई की क्रम संख्या 70 के तहत बीसीडी को 10 प्रतिशत तथा उत्पाद शुल्क के समतुल्य अतिरिक्त सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत पर निर्धारित किया।

मै. लार्सन तथा टोब्रो लिमिटेड तथा दो अन्यों द्वारा आयातित (जून तथा अगस्त 2011, फरवरी तथा मार्च 2012) मानक सामान के साथ ऑपरेटिंग टेबल के चार परेषणों को 'चिकित्सा उपकरण तथा सामग्री/एक्स-रे उपकरण के रूप में सीटीएच 9018/9022 के तहत गलत वर्गीकृत किया गया तथा दिनांक 1 मार्च 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002 के अनुसार बीसीडी को 5 प्रतिशत पर और अधिसूचना संख्या 10/2006-सीई के अनुसार अतिरिक्त सीमा शुल्क को क्रमश: शून्य/5 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया। इस प्रकार, गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 19.69 लाख शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे दिसम्बर 2013 में मंत्रालय को बताया गया, उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने लकड़ी की आइसक्रीम स्टीक/चम्मच का गलत वर्गीकरण किया।

5.14 'आइसक्रीम की लकड़ी की स्टीक/चम्मच' सीटीएच 44219019 के तहत वर्गीकरणीय है। मै. टैग ओवरसीज ने मई 2012 से अगस्त 2012 की समयावधि के दौरान ₹ 1.07 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य हेतु 'आइसक्रीम लकड़ी स्टीक/चम्मच' के सात परेषणों का आयात किया। माल को 'वाकिंग स्टीक के निर्माण हेतु उपयुक्त वुडन स्टीक, इल हैडंल पिकेट तथा इस प्रकार' के रूप में सीटीएच 44042090 के तहत वर्गीकृत किया गया तथा तदनुसार अधिसूचना संख्या 12/2012 (क्रम संख्या 157) के तहत निर्धारित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित माल लकड़ी का तैयार सामान था तथा यह सीटीएच 44219019 के तहत सही प्रकार से वर्गीकरणीय था। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 15.18 लाख शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसके अलावा, अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि हेतु अखिल भारतीय आयात डाटा आईसीईएस 1.5 के विश्लेषण से पता चला कि इसी प्रकार के माल के 57 प्रेषणों का दिल्ली, गोवा, मुम्बई, गुजरात तथा तमिलनाडु के विभिन्न बन्दरगाहों से आयात किया गया तथा स्पष्ट तौर पर गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने टेलीफोन सेटों के पार्ट के रूप में फीडर केबलस का गलत वर्गीकरण किया

5.15 कोएक्सिल केबल सहित इंसुलेटेड तार, केबल सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग (सीटीएच) 8544 के तहत वर्गीकरण योग्य है तथा मूल सीमा शुल्क के 7.5 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहण योग्य है।

'फीडर केबल' के ₹ 189.83 लाख के पांच परेषणों का मै. श्याम टेलीलिंक लि. द्वारा सीटीएच 85177090 के तहत 'सेलुलर नेटवर्क हेतु टेलीफोन सहित टेलीफोन सेट के पार्ट' के रूप में चेन्नई (एयर) कस्टम के गलत वर्गीकरण के माध्यम से आयात (सितम्बर 2009) किया गया तथा दिनांक 1 मार्च 2005 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 24/2005 (क्रम संख्या 13) के तहत 'शून्य' दर पर मूल सीमा शुल्क को निर्धारित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आयातित माल का 7.5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क के प्रभावी उद्ग्रहण पर 'अन्य कोएक्सिल इलेक्ट्रिक कडंक्टर' के रूप में सीटीएच 85442090 के तहत उचित वर्गीकरण किया जाएगा। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 14.25 लाख राशि के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे दिसम्बर 2013 में मंत्रालय को बताया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)

निर्धारण अधिकारी ने डिजिटल कैमरों का गलत वर्गीकरण किया

5.16 केमकार्डर अथवा विडियो रिकार्डर जैसे स्टील छवि तथा मूविंग छवि तथा दोनों सुविधाओं वाले 'डिजिटल कैमरे' सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद

शुल्क टैरिफ के सीटीएच 85258030 के तहत वर्गीकरण योग्य है तथा 10 प्रतिशत दर पर बीसीडी के उद्ग्रहण योग्य है। बोर्ड ने अपने दिनांक 10 सितम्बर 2007 की परिपत्र संख्या 32/2007 में स्पष्ट किया था कि विषयगत माल इसके प्रमुख कार्यों तथा सुविधाओं के आधार पर सीटीएच 85258030 के तहत वर्गीकरण योग्य है।

फरवरी 2009 के दौरान आयातित ₹ 68.10 लाख कुल मूल्य वाले 'पैनासोनिक ब्रांड डिजिटल इमेज विडियो कैमरा' के अठारह परेषणों को 'डिजिटल स्टील इमेज विडियो कैमरों' के रूप में सीटएच 85258020 के तहत गलत रूप में वर्गीकृत किया गया तथा इसे दिनांक 1 मार्च 2005 की अधिसूचना संख्या 25/2005 की क्रम संख्या 13 के अनुसार मूल सीमाशुल्क के उद्ग्रहण से छूट की अनुमति दी गई।

लेखापरीक्षा ने बताया कि आयातित मॉडल स्टील तथा मूविंग छवि दोनों ले सकता था तथा इसे उपरोक्त बताए बोर्ड के परिपत्र के अनुसार सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के सीटीएच 85258030 के तहत 'कैमकार्डस' के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तथा यह 10 प्रतिशत की दर पर मूल सीमा शुल्क के उद्ग्रहण योग्य है। दिनांक 1 मार्च 2005 (क्रम संख्या 13) की अधिसूचना संख्या 25/2005 के अनुसार गलत छूट लेने के परिणामस्वरूप
₹ 8.27 लाख सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे दिसम्बर 2013 में मंत्रालय को बताया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।